न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एलआर/486/2005/दौसा

हेमा पुत्र चन्द्रा जाति मीणा निवासी ग्राम कवंरपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा

अपीलार्थी

बनाम

1 लादया पुत्र काना जाति रेगर निवासी कवंरपुरा तहसील लालसोट
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लालसोट

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री अशोक अग्रवाल वकील अपीलार्थी
श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांकः.8.6.2018

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा द्वारा प्रकरण संख्या 136/04 में पारित निर्णय दिनांक 20.1.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 12.7.75 को ग्राम कवंरपुरा की आराज खसरा नम्बर 95/3/7 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवंटन प्रत्यर्थी संख्या 1 लादया को किया गया। इस आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थी वर्तमान अपीलार्थी हेमा ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने निर्णय दिनांक 110.12. 2004 से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया। इसके विरूद्ध आवंटी ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20.1.2005 से अपील स्वीकार करली। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आवंटी ने आवंटन प्रार्थना पत्र में तथ्यों को गलत रूप से अंकित किया है एवं सही तथ्यों को छीपाकर आवंटन कराया है। यह आवंटन धोखे से एवं गलत तथ्येां को पेश कर कराया गया है जो किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। आवंटन के समय भूमि खाली नहीं थी बल्कि अपीलार्थी का कब्जा काश्त था जिससे भी आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं थी। आवंटी ग्राम कंवरपुरा का निवासी नहीं था बल्कि बाढ महाराजपुरा का निवासी है। इस तथ्य को साक्ष्यों से साबित कराया है। आवंटी ने इस तथ्य को छीपाकर आवंटन कराया गया है। अतिरिक्त कलक्टर ने अपने निर्णय में उक्त सभी तथ्येां का पूर्ण विवेचन कर निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नही है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने तथ्यो को छीपाया जाना माना है परन्तु अपील को स्वीकार कर ली। जो त्रुटिपूर्ण है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि का आवंटन हालांकि 30 वर्ष पूर्व किया गया है परन्तु आवंटी उस ग्राम का निवासी नहीं है जिस गांव में भूमि स्थित है। आवंटी ने आवंटन प्रार्थनापत्र में भूमिहीन होना लिखा है जबकि उसके पिता के नाम सह खातेदारी में भूमि दर्ज है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम कवंरपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 95/3/7 में आवंटी प्रत्यर्थी संख्या 1 को दिनांक 12.7.75 को आवंटन किया गया है। आवंटन के 29 वर्ष एवं खातेदारी अधिकारी प्राप्त होने के भी 18 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त कराने की यह कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी ने आवंटन निरस्ती के मुख्य आधार विवादित आवंटित भूमि पर उसका कब्जा होना, आवंटी गांव बाढ महाराजपुरा का निवासी होना एवं स्वंय को भूमिहीन अंकित करना लिया है।

यह स्पष्ट है कि इसी खसरा नम्बर 95 में अपीलार्थी को भी आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में यही माना जावेगी कि जिस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा था वह उसे आवंटित कर दी गई है। खसरा नम्बर 95 का शेष रकबा अन्य व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकता है। अतः आवंटन के समय आवंटित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होना साबित नहीं होता है तथा यदि कब्जा हो तो भी वह अतिक्रमी के रूप में है जिससे अपीलार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

जहां तक गांव बाढ महाराजपुरा का निवासी होना एवं आवंटित भूमि गांव कवंरपुरा में स्थित होने का प्रश्न है तो यह स्पष्ट है कि नियमों में दूसरे गावं के व्यक्ति को भूमि आवंटन करने में मनाही नहींहै। आवंटन आवेदन पत्र में आवंटी ने स्वंय को भूमिहीन होना अंकित किया है। अपीलार्थी ने आवंटी के पिता के पास 186 बीघा 15 बिस्वा का 1/16 हिस्सा धारित होना कथन किया है जो लगभग 11 बीघा बनता है। आवंटी के पिता के पास मात्र 11 बीघा के लगभग भूमि है जिसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि आवंटी भूमिहीन नहीं हो। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आवंटी को नोशनल शेयर में 6 बीघा भूमि मिलना मानते हुए आवंटित भूमि को शामिल करने पर भी आवंटी को भूमिहीन होना ही माना है। इस प्रकार आवंटन तथ्यों को छीपाकर अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त किया जाना साबित नहीं होता है। यह भी स्पष्ट है कि यह आवंटन वर्ष 1975 में किया गया है जिसे 32 वर्ष के लगभग समय हो चुका है। इतने पुराने आवंटन को अब निरस्त किया जाना न्याय का हनन ही होगा। ऐसी स्थिति में हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर केम्प दौसा का निर्णय दिनांक 20.1.2005 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य